



2026:AHC:6739

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19380 वर्ष 2025

सबा शाहीन

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कमलेश कुमार तिवारी, प्रिया तिवारी, योगेश शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री के.के. तिवारी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने बार में एक कथन दिया है कि वह निर्देशों से अच्छी तरह सुसज्जित हैं और वह कोई शपथपत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और रिट याचिका पर अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जाए। पक्षकारों की सम्मति से रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की नियुक्ति के लिए 16.05.2025 को एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, रिट याचिकाकर्ता को उक्त पद पर 29.05.2025 को नियुक्त किया गया था, हालांकि, बिना कोई नोटिस जारी किए और रिट याचिकाकर्ता को सुने बिना, जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 08.09.2025 को उम्मीदवारी रद्द करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।
4. उसी पर सवाल उठाते हुए, रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका को वरीयता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह रिट याचिकाकर्ता को नोटिस दिये बिना एकपक्षीय है। वह प्रस्तुत करता है कि रिट याचिकाकर्ता के पास उस संबंध में निवास प्रमाण पत्र है।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रश्न में आक्षेपित आदेश कारण बताओ नोटिस माना जाए और रिट याचिकाकर्ता को जवाब प्रस्तुत करने दें।

7. न्यायालय में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका पर निम्नलिखित शर्तों में निर्णय लिया जा रहा है।

(a) जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला कौशाम्बी द्वारा दिनांक 08.09.2025 को पारित आदेश को कारण बताओ नोटिस माना जाता है; (b) रिट याचिकाकर्ता 29.01.2026 तक इसका जवाब देगा; (c) रिट याचिकाकर्ता को उस दिनांक को सूचित किया जाएगा जब उसकी सुनवाई की जानी है और उसके बाद दो माह के भीतर सुनवाई के बाद आदेश पारित किए जाएंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 08.09.2025 का आदेश पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश के अधीन होगा। चूंकि आक्षेपित आदेश वर्तमान रिट याचिका में चुनौती का विषय रहा है, इस प्रकार, इसे रिट याचिकाकर्ता के ज्ञान में माना जाएगा। किसी भी बाद के चयन के अनुसार की गई कोई भी नियुक्ति या चयन रिट याचिका से बाहर के अधीन होगा।

8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

आदेश दिनांक: जनवरी 12, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।